झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

## अधिसूचना

संख्या – 05 / म0स0 / JJF–222 / 2021– 1796 दिनांक– 24/9/2021

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा–110(1) के द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

**झारखण्ड राज्य किशोर न्याय निधि (गठन, संचालन तथा क्रियान्वयन) नियमावली , 2021**

### भाग–1
### सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :–**
   (i) यह नियमावली "**झारखण्ड राज्य किशोर न्याय निधि** (गठन, संचालन एवं क्रियान्वयन) नियमावली, 2021" कहलाएगी।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   (iii) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएं** :– जब तक कोई विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो इस नियमावली में:
   (क) सरकार से अभिप्रेत है, झारखण्ड सरकार।
   (ख) अधिनियम से अभिप्रेत है, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का धारा–2)।
   (ग) नियमावली से अभिप्रेत है, झारखण्ड किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017।
   (घ) निधि से अभिप्रेत है, झारखण्ड किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम–83(2) एवं नियम–83(3) के अनुरूप प्राप्त राशि।
   (ड.) शब्द और पद, जो इस नियमावली में प्रयुक्त है और परिभाषित नही है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में है।

### भाग–2
### उद्देश्य

3. **झारखण्ड राज्य किशोर न्याय निधि का उद्देश्यः** किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं झारखण्ड किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के अधीन व्यवहत बच्चों का कल्याण और पुनर्वास झारखण्ड राज्य किशोर न्याय निधि के सृजन का मुख्य उद्देश्य है।

### भाग–3
### निधि के स्रोत

4. **झारखण्ड राज्य किशोर न्याय निधि हेतु राशि के स्रोतः** झारखण्ड राज्य किशोर न्याय निधि हेतु निम्नांकित स्रोतों से राशि प्राप्त की जा सकेगी:
   (क) झारखण्ड किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम–83(2) के अनुरूप राज्य सरकार के द्वारा किशोर न्याय निधि में पर्याप्त बजट आवंटन के माध्यम से एवं नियम–83(3) के अनुरूप किशोर न्याय निधि में दान, स्वैच्छिक अभिदान, अंशदान या कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से;
   (ख) विभिन्न न्यायालयों के द्वारा किशोर न्याय निधि में निर्देशित राशि को जमा करने संबंधी आदेशों के अनुपालन के माध्यम से;

(ग) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की किसी एजेन्सी, उपक्रम, इकाई से दान अथवा अनुदान के माध्यम से;

(घ) सामाजिक संस्थाओं, गैर–सरकारी संस्थानों, स्वयं सेवी संस्थाओं, सिविल सोसाइटी संस्थाओं अथवा वैयक्तिक दान अथवा अभिदान के माध्यम से;

(ड.) किशोर न्याय निधि के बचत खाते में संग्रहित राशि पर प्राप्त ब्याज के माध्यम से;

(च) राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी न्यायालय द्वारा समय–समय पर विर्निदिष्ट किसी अन्य माध्यम से।

## भाग–4

## निधि का सदुपयोग

5. **झारखण्ड राज्य किशोर न्याय निधि का सदुपयोगः** झारखण्ड राज्य किशोर न्याय निधि का सदुपयोग उन प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जिनका उल्लेख झारखण्ड किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम–83(4) में किया गया है।

## भाग–5

## निधि का विनिधान

6. **झारखण्ड राज्य किशोर न्याय निधि का विनिधानः** झारखण्ड राज्य किशोर न्याय निधि का रख–रखाव एवं संचालन झारखण्ड किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम–83(5) के अनुरूप किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 का क्रियान्वयन करने वाले राज्य सरकार के विभाग यथाः महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था के माध्यम से किया जायेगा।इसके अन्तर्गत झारखण्ड राज्य किशोर न्याय निधि का विनिधान प्रधान सचिव/सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में प्रावधानित झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था की कार्यकारणी समिति द्वारा किया जायेगा। निधि के विनिधान हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगाः

(क) निर्धारित प्रयोजनों के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य किशोर न्याय निधि का उपयोग किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 अन्तर्गत निबंधित बाल देखरेख संस्थाओं, राज्य अथवा केन्द्र सरकार के विभिन्न संस्थानों एवं बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किया जा सकेगा।

(ख) बाल देखरेख संस्थाओं, जिला स्तर पर विभिन्न विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा अपने प्रस्ताव उपायुक्त को उपलब्ध करवाये जायेंगे। समीक्षोपरांत, उपायुक्त द्वारा समुचित प्रस्ताव अपनी अनुसंशा एवं मंतव्य के साथ सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था को उपलब्ध करवाये जायेंगे।

(ग) राज्य अथवा केन्द्र सरकार के विभिन्न संस्थानों के द्वारा अपने प्रस्ताव सीधे सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था को उपलब्ध करवाये जायेंगे।

(घ) झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था में प्राप्त प्रस्तावों की स्क्रीनिंग के पश्चात सदस्य सचिव, द्वारा प्रस्तावों को झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था की कार्यकारणी समिति के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

(ड.) राज्य कार्यकारणी समिति द्वारा उसके समक्ष उपस्थापित प्रस्तावों की समीक्षा के उपरांत समुचित प्रस्तावों की स्वीकृति पर निर्णय लिये जायेंगे, एवं साथ ही स्वीकृत प्रस्तावों के कार्यान्वयन हेतु किशोर न्याय निधि से उपलब्ध करायी जाने वाली राशि पर भी निर्णय लिये जायेंगे।

(च) राज्य कार्यकारणी समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिये स्वीकृत राशि किशोर न्याय निधि से जिला उपायुक्तों/राज्य अथवा केन्द्र सरकार के विभिन्न संस्थानों को सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से उपलब्ध करवायी जायेगी।

(छ) प्रस्तावों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं समीक्षा राज्य स्तर पर निदेशक, बाल संरक्षण संस्था की अध्यक्षता एवं जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समितियों के द्वारा की

जायेगी। राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा तथा जिला स्तरीय समिति का गठन संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा किया जायेगा।

(ज) झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था में प्राप्त प्रस्तावों की स्क्रीनिंग हेतु सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग–सह–अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था द्वारा सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग समिति गठित की जायेगी।

(झ) किशोर न्याय निधि हेतु प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा एवं स्वीकृति हेतु झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था की कार्यकारणी समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में कम–से–कम एक बार आयोजित की जायेगी।

7. **किशोर न्याय निधि के बैंक खाते का संचालनः** किशोर न्याय निधि के बैंक खाते का संचालन सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था तथा सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा नामित एक विभागीय पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

8. **आशंकाओं का निराकरणः** यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई शंका उत्पन्न हो तो इस मामले को सरकार के माहिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को भेजा जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

9. इस पर राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक–14.09.2021 को सम्पन्न बैठक में मद सं0–09 अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

23/9/21

(अविनाश कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – 05 / म0स0 / JJF–222 / 2021– 1796 राँची, दिनांक– 24/9/2021

प्रतिलिप– अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा इसकी 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

23/9/21

(अविनाश कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 05 / म0स0 / JJF–222 / 2021–1796 राँची, दिनांक– 24/9/2021

प्रतिलिप– मुख्य सचिव, झारखण्ड / महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / राज्य निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / निदेशक, समाज कल्याण / निदेशक, झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था, राँची / निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची / सभी उपायुक्त / सभी उप विकास आयुक्त / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी जिला बाल कल्याण समिति, झारखण्ड एवं सभी किशोर न्याय बोर्ड, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/9/21

(अविनाश कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।